अन्नपूर्णा बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कानपुर

बनाम

कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, यूपी, लखनऊ

28 जुलाई, 1981

[आर. एस. पाठक ई. एस. वेंकटरमैया और वी. बालाकृष्ण इराडी, न्यायाधिपतिगण]

यूपी बिक्री कर अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम XV) और अधिनियम की धारा 3-4 (2) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 1971, जिसमें पकाया हुआ भोजन ("पकाया हुआ भोजन") पर टर्नओवर के 2% पर बिक्री कर की कम दर का प्रावधान है - शब्द और वाक्यांश - क्या "बिस्कुट" (पकाया हुआ भोजन) के अंतर्गत आते हैं।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित किया : 1. अधिसूचना के संदर्भ और पृष्ठभूमि में "बिस्किट" को "पका हुआ भोजन" नहीं माना जा सकता है। अंग्रेजी संस्करण के समसामयिक रूप से जारी अधिसूचना के हिंदी पाठ में, (पकाया हुआ भोजन) शब्द का उपयोग पके हुए भोजन के लिए समकक्ष के रूप में किया गया था। आमतौर पर बिस्किट को "पका हुआ भोजन" नहीं समझा जाता है। न ही उत्तर प्रदेश में किसी होटल में "पका हुआ खाना" मांगने वाले को "बिस्किट" परोसा जाएगा। वस्तु को सही ढंग से "अवर्गीकृत वस्तु" माना गया है और तदनुसार कर लगाया गया है। [151 एफ,जी,एच]

बिक्री कर आयुक्त बनाम जस्सू राम बेकरी डीलर, 38 एस.टी.सी. 461; बिक्री कर आयुक्त मध्य प्रदेश बनाम श्री बल्लभदास ईश्वरदास, 21 एस.टी.सी. 309 – अनुमोदन किया गया ।

2. यह निर्माण का एक सुस्थापित नियम है कि कर लगाने वाले कानून में इस्तेमाल किए गए शब्दों का अर्थ उसी तरह से किया जाना चाहिए जिस तरह से वे उस क्षेत्र में सामान्य बोलचाल में समझे जाते हैं जहां कानून लागू है। यदि कोई अभिव्यक्ति व्यापक अर्थ के साथ-साथ संकीर्ण अर्थ देने में भी सक्षम है, तो व्यापक या संकीर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए या नहीं, यह सवाल संदर्भ और मामले की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। [151 ई-ई]

हिंदे बनाम ऑलमंड, 87 एल.जे. के.बी. 893, अनुमोदन सहित उद्धृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3133/1979

सेल टैक्स रिवीजन नंबर 573/1979 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 30 जुलाई 1979 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से जी.एल. सांघी, भरत जी अग्रवाल, नरेश कुमार शर्मा और विनीत कुमार।

प्रतिवादी की ओर से एस.सी. मनचंदा और श्रीमती शोभा दीक्षित।

न्यायालय का निर्णय वेंकटरमैया, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। इस अपील में विचार करने के लिए संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या यूपी बिक्री कर अधिनियम, 1948 (उ.प्र. अधिनियम XV, 1948) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत जारी कुछ अधिसूचनाओं में 'पका हुआ भोजन' शब्द का उपयोग किया गया है, को इसके अर्थ में 'बिस्कुट' भी शामिल करने के रूप में समझा जा सकता है।

यहां निर्धारिती, अपीलकर्ता, एक पंजीकृत फर्म है जो मानव उपभोग के लिए बिस्कुट के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। निर्धारिती अधिनियम के तहत एक पंजीकृत डीलर है। वर्ष 1972-73 के लिए अधिनियम के तहत मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान निर्धारिती ने दावा किया कि उसके द्वारा निर्मित और बेचे गए बिस्कुट से संबंधित टर्नओवर रु. 35,09,920.38 पैसे था. इस पर दो प्रतिशत कर लगाया जा सकता है, जो पके

हुए भोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिस्चना द्वारा निर्धारित दर थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि 'पके हुए भोजन' में 'बिस्कुट' भी शामिल है। जिस अधिस्चना पर भरोसा किया गया वह 6 अक्टूबर 1971 को अधिनियम की धारा 3-ए की उप-धारा (2) के तहत 1 जुलाई 1969 की पिछली अधिस्चना के अधिक्रमण में जारी की गई थी। दोनों अधिस्चनाओं में पके हुए भोजन के मामले में बिक्री के सभी बिंदुओं पर देय टर्न-ओवर का दो प्रतिशत कर निर्धारित किया गया था। सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) बिक्री कर, कानपुर, जो मूल्यांकन प्राधिकारी थे, ने निर्धारितों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पके हुए भोजन में बिस्कुट भी शामिल थे और बिस्कुट उपचार से संबंधित टर्न-ओवर पर साढ़े तीन प्रतिशत की दर से कर लगाया, एक अवर्गीकृत वस्तु के समान। मूल्यांकन प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स के समक्ष दायर की गई अपील और न्यायाधीश (अपील) सेल्स टैक्स, लखनऊ के समक्ष एक और अपील असफल रही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। विशेष अनुमित द्वारा यह अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

हमारे सामने एकमात्र आधार यह है कि बिस्कुट को अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा पका हुआ भोजन माना जाना चाहिए और पके हुए भोजन के संबंध में निर्धारित दर पर बिस्कुट के कारोबार पर ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के तहत बिक्री कर लगाया जाना चाहिए। अपीलार्थी की ओर से दिया गया तर्क यह है कि जो बिस्किट मनुष्य पोषण के लिए खाता है वह भोजन है और चूंकि यह बेकिंग द्वारा तैयार किया जाता है जो एक प्रकार की खाना पकाने की प्रक्रिया है, इसलिए इसे पका हुआ भोजन माना जाना चाहिए। कुछ विदेशी अंग्रेजी शब्दकोशों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि खाना पकाने का अर्थ है खाना पकाने के लिए गर्मी का उपयोग करना जैसे उबालना, पकाना, भूनना, भूनना आदि, और इसलिए बिस्किट को पका

हुआ भोजन माना जाना चाहिए। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि जारी अधिसूचना के हिंदी संस्करण में अंग्रेजी भाषा में अधिसूचना में 'पके हुए भोजन' के लिए (पकाया हुआ भोजन) अभिव्यित का उपयोग किया गया है।

यह निर्माण का एक सुस्थापित नियम है कि कर लगाने वाले कानून में इस्तेमाल किए गए शब्दों का अर्थ उसी तरह से किया जाना चाहिए जिस तरह से वे उस क्षेत्र में सामान्य बोलचाल में समझे जाते हैं जहां कानून लागू है। यदि कोई अभिव्यक्ति व्यापक अर्थ के साथ-साथ संकीर्ण अर्थ देने में भी सक्षम है, तो व्यापक या संकीर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए या नहीं, यह सवाल संदर्भ और मामले की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। हिंड बनाम ऑलमंड में सवाल यह था कि क्या भोजन की जमाखोरी को प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए आदेश अर्थात् 1917 के खाद्य जमाखोरी आदेश के अर्थ में चाय एक "खाद्य वस्त्" थी। विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि यह तब भी नहीं था जब क्छ अन्य निर्णयों में इसे "खाद्य वस्त्" माना गया था। न्यायाधीशों में से एक, शियरमैन, न्यायाधिपति. ने कहा कि उन्होंने किसी अन्य क़ानून में इसके अर्थ के अलावा, आदेश में 'भोजन' शब्द की सामान्य ज्ञान व्याख्या पर अपना निर्णय दिया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अन्नपूर्णा बिस्किट मैन्य्फैक्चरिंग कंपनी बनाम यूपी राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में निर्धारिती ने तर्क दिया था कि बिस्किट कन्फेक्शनरी का एक लेख था और यह तर्क अस्वीकार कर दिया गया था। यह नोट करना प्रासंगिक है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, कि जब अधिसूचना का हिंदी पाठ अंग्रेजी संस्करण के साथ समसामयिक रूप से जारी किया गया था, तो शब्द ('पकाया हुआ भोजन') का उपयोग 'पकाया हुआ भोजन' शब्दों के समकक्ष के रूप में किया गया था।

हो सकता है कि चाय के समय बिस्किट परोसा गया हो और इसके व्यापक अर्थ में 'पका हुआ भोजन' में बिस्किट भी शामिल हो सकता है। लेकिन आमतौर पर बिस्किट

को पका हुआ भोजन नहीं समझा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी होटल या रेस्तरां में जाता है और कुछ पका हुआ भोजन या पका हुआ भोजन ('पकाया हुआ भोजन') मांगता है, तो निश्चित रूप से उसे उत्तर प्रदेश में बिस्कुट नहीं परोसा जाएगा। जबिक वर्तमान मामले में यह बताना आवश्यक नहीं है सभी वस्तुओं को पका हुआ भोजन कहा जा सकता है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अधिसूचना के संदर्भ और पृष्ठभूमि में बिस्किट को पका हुआ भोजन नहीं माना जा सकता है।

बिक्री कर आयुक्त बनाम जस्सू राम बेकरी डीलर के एक पुराने मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना था कि बिस्किट पका हुआ भोजन नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी बिक्री कर आयुक्त मध्य प्रदेश बनाम श्री बल्लभदास ईश्वरदास मामले में यही दृष्टिकोण अपनाया है। हम उपरोक्त निर्णयों में व्यक्त विचारों का अनुमोदन करते हैं।

अपील के तहत आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

एस.आर. अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।